रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 ई० (माघ 21, 1945 शक संवत्) [संख्या 06

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	63–66	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	151–180	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	27–34	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	7	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	153–168	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त (सामान्य) विभाग

अनुभाग-2

विज्ञप्ति

विविध

18 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1/2023/जी-2-8/दस-2023-59/81—जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट-फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स-1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट-फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्टफण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलब एक प्रतिशत) होगी। यह दर 01 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

आज्ञा से,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

FINANCE (GENERAL) DEPARTMENT

SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellaneous

January 18, 2023

No. 1/2023/G-2-8/X-2023-59-81–In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall carry interest at the rate of 7.1 % (Seven point one percent) *w.e.f.* 1st January, 2023 to 31st March, 2023. This rate will be in force *w.e.f.* 1st January, 2023.

By Order,
PRASHANT TRIVEDI,
Additional Chief Secretary.

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

कार्यालय-ज्ञाप

05 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1571/86-2022-06(अधि0)/2008टी0सी0–भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 में खान अधिकारी, बहराइच के पद पर तैनात श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय, खान अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठ खान अधिकारी (वेतन बैण्ड रु0-15,600-39,100, ग्रेड वेतन-6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) के रिक्त पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद पर कार्य करते रहेंगे।

3– उपरोक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-20035/2021 (एस/एस) दिनेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी।

आज्ञा से,
डा0 रोशन जैकब,
सचिव।

संस्कृति विभाग

02 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 2419/चार-2022-203/2022–भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 के उपबन्ध-74(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रो0 माण्डवी सिंह, पूर्व कुलपति, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का प्रथम कुलपति नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

30 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 3653/52-2-2022–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2020 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुति के क्रम में श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा को शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश संख्या-1951/52-2-2021-19(अधि0)/2021 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा द्वारा निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण में दिनांक 20 जनवरी, 2022 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर योगदान किया गया। शासन के पत्र संख्या-1193/52-2-2022 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा जनपद-बलिया में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा की तैनाती की गयी, जिसके क्रम में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 01 जून, 2022 को जनपद-बलिया में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर योगदान किया गया।

2– श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया का चयन 31वीं बिहार न्यायिक सेवा (विज्ञापन संख्या-04/2022) परीक्षा में असैनिक न्यायधीश कनीय कोटि में अन्तिम रूप से चयन होने के फलस्वरूप उनके प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद से सेवा मुक्त किये जाने के अनुरोध एवं तत्क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र-संख्या-3446/अ0सं0क0नि0/1439-स्था0-व्य0प0/2022 दिनांक 10 नवम्बर, 2022 द्वारा दी गयी अनापत्ति/संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

श्री दिव्य दुर्गेश सिन्हा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया के सेवा मुक्त होने के उपरान्त उनका जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा।

आज्ञा से,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

09 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 40/2022/1273/सत्रह-म-2022-6-9(205)/2013 टीसी–सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री धर्मेन्द्र सिंह बघेल को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 6,600/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उप निदेशक मत्स्य, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 41/2022/1274/सत्रह-म-2022-6-9(205)/2013 टीसी–सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री एजाज अहमद नकवी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 6,600/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उन्हें मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 ई० (माघ 21, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन विभाग, वाराणसी

प्रारूप–19
(नियम–27 का उपनियम (1)
समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

दिनांक : 05 फरवरी, 2024 ई0

सं0 556/आठ–वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0)/वाराणसी–उप निदेशक, पर्यटन विभाग कार्यालय, वाराणसी द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद-वाराणसी में संत श्री रविदास जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु जिला वाराणसी, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, ग्राम-सीरगोवर्धनपुर में स्थित कुल योग भूमि 0.6948 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 1524 दिनांक 27.04.2023 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोंपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती है कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 0.6301 हे0 सार्वजनिक प्रायोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला वाराणसी, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, ग्राम-सीरगोवर्धनपुर की उक्त अनुसूची में वर्णित क्षेत्रफल के अधिग्रहण फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सांराश के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर वाराणसी को निर्देशित करते है।

अनुसूची-क

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	सीरगोवर्धनपुर	581	0.0240
				588/1	0.0120
				590	0.0096
				591	0.0125
				592	0.1245
				593	0.2463
				594	0.1532
				600	0.0360
				765	0.0120
				योग . .	0.6301

अनुसूची–ख

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	सीरगोवर्धनपुर	–	–

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
सचिव/प्राधिकृत अधिकारी,
जिला कलेक्टर,
वाराणसी।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उप निदेशक, पर्यटन विभाग कार्यालय, वाराणसी द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद-वाराणसी में संत श्री रविदास जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु जिला वाराणसी, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, ग्राम-सीरगोवर्धनपुर में स्थित कुल योग भूमि 0.6948 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1524 दिनांक 27.04.2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सांराश निम्नवत् है–

''परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 0.6948 हे0 से प्रभावित काश्तकारों/भू-स्वामियों के बावत प्रशासक द्वारा दिनांक–07.08.2023 को आख्या प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में उप निदेशक पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्यांचल मण्डल वाराणसी द्वारा पत्र-सं0 1185/प0के0वा0–सीरगोवर्धनपुर/23 दिनांक 19.12.2023 द्वारा परियोजना हेतु अधिसूचित भूमि से विस्थापित होने वाले कास्तकारो से सम्बन्धित रकबा को अधिग्रहण से पृथक करते हुए अवशेष रकबा को अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। अर्जन निकाय के उक्त-पत्र के क्रम में संयुक्त जांच आख्या दिनांक–23.12.2023 प्राप्त किया गया, जिसके अर्न्तगत परियोजना के अन्दर प्रभावित कास्तकार जो परियोजना से विस्थापित हो रहे थे उनसे सम्बन्धित आराजी सं0-595 रकबा 0.0275 हे0, आराजी सं0–596 रकबा–0.0276 व आराजी सं0–599 रकबा–0.0096 हे0 को अधिसूचित रकबा से पृथक कर अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आराजियों से सम्बन्धित रकबा को अधिसूचित रकबा से पृथक किये जाने के पश्चात अवशेष रकबा 0.6301 हे0 के अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता हैं।

आज्ञा से,
जिला कलेक्टर,
वाराणसी।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TOURISM DEPARTMENT

FORMAT-19
(Sub-rule (1) of Rule-27)
Declaration by the appropriate Government/Collector
(Under sub-section (1) of Section-19 of the Act)
NOTIFICATION
Date : *Febuary* 05, 2024

No. 556/VIII/S.L.A.O./Varanasi–Whereas preliminary notification No. 1524 dated 27.04.2023 was issued under sub section (1)of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation Act, 2013, in respect of 0.6948 hectares of land in village Seer Goverdhanpur, Pargana Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District Varanasi is required for the public purpose, Tourism Department required by the Government of Uttar Pradesh for public purpose such as Development of Tourism. The Deputy Collector Sadar was appointed administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of project affected families.

After considering the report of the collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act, that he is

satisfied that the area of the land mentioned in th given schedule "A" is needed for public, Village-Seer Goverdhanpur, Pargana-Dehat Amanat, District Varanasi, and no family is being displaced as a result of acquisition of 0.6301 hectare of land mentioned in the above.

The Governor is further pleased under sub-section (2) as section 19 of the Act, to direct the collector of Varanasi to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Seer Goverdhanpur	581	0.0240
				588/1	0.0120
				590	0.0096
				591	0.0125
				592	0.1245
				593	0.2463
				594	0.1532
				600	0.0360
				765	0.0120
				Total	**0.6301**

SCHEDULE-B

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Seer Goverdhanpur	0.00	0.00

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, Varanasi.

By Order
Secretary/Authorised officer
District Collector
Varanasi.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

(Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act)

Total land of 0.6948 hectares located in District Varanasi, Tehsil-Sadar, Pargana-Dehat Amanat, Village-Seer Govardhanpur for the public purpose required by the Deputy Director, Tourism Department Office, Varanasi for tourism development of the birthplace of Saint Shri Ravidas Ji in Varanasi district. In the order of Notification No. 1524 dated 27.04.2023, I have published the announcement and a summary of the Rehabilitation and Resettlement Plan has been attached with the Government Notification. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is as follows–

"Regarding the farmers/land owners affected by the proposed land area of 0.6948 hectares for the project, the report was presented by the Administrator on 07.08.2023, in reply to which the Deputy Director Tourism Varanasi and Vindhyanchal Board Varanasi issued a letter No. 1185/PKKWA-Seer Govardhanpur. /23 dated 19.12.2023 and cleared that out of the total area 0.6948 hectares mentioned in the first publication dated 10.05.2023 now area comprising the structured part out of Araji No. 595 area 0.0275 hectare, Araji No. 596 area 0.0276 hectares and Araji No. 599 area 0.0096 hectares total area 0.0647 is to be reduced. Thus the process of acquisition is being done by separating the above mentioned structured area. After separating the above mentioned area now no family is being displaced. Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act the total area proposed is 0.6301 hectares.

The site map of the said land can be seen in the Collector's office for the purpose of land acquisition.

By order
Collector, Varanasi.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

25 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 237/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल मुजाहिदपुर अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-खिरनी मौहिउद्दीनपुर में कुल 0.0528 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	खिरनी मौहिउद्दीनपुर	135	0.0528
				योगः–	**0.0528**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणीः– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

October 25, 2023

No. 237/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of

land is required in the Village Khirni Mohuddinpur, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated .....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Khirni Mohuddinpur	135	0.0528
				Total	**0.0528**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 238/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) कमालपुर राजवाहा व हिसामपुर अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम- हिसामपुर में कुल 0.2749 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	हिसामपुर	548	0.0805
				260	0.0084
				284	0.0180
				259	0.1680
				योग . . .	**0.2749**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 238/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Hisampur, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	HISAMPUR	548	0.0805
				260	0.0084
				284	0.0180
				259	0.1680
				Totat	**0.2749**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **60** (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 239/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य

गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल सददू सराय अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-सददू सराय में कुल 0.3977 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	सददू सराय	90	0.0065
				92	0.0182
				25	0.0338
				3	0.0700
				34	0.0234
				163	0.1664
				185	0.0182
				274	0.0480
				301	0.0132
				योग . . .	**0.3977**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 239/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Saddu Sarai, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Saddu Sarai	90	0.0065
				92	0.0182
				25	0.0338
				3	0.0700
				34	0.0234
				163	0.1664
				185	0.0182
				274	0.0482
				301	0.0132
				Totat	**0.3977**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 240/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर

(समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल लालपुर अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-नाहरपुर में कुल 0.0762 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 30 अगस्त, 2018 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	पवासा	नहरपुर	25	0.0762
				योग . . .	**0.0762**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 240/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Naharpur, Pargana Sambal, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar Pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Naharpur	25	0.0762
				Totat	**0.0762**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 241/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल ईसापुर अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-गंगेहटा में कुल 0.2280 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	गंगेहटा	602	0.1200
				603	0.0096
				929	0.0696
				876	0.0144
				874	0.0144
				योग . . .	**0.2280**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 241/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Gangheta, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Gangheta	602	0.1200
				603	0.0096
				929	0.0696
				876	0.0144
				874	0.0144
				Totat	**0.2280**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 242/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर

परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल कमालपुर राजवाहा निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-सुजातपुर में कुल 0.1885 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	सुजातपुर	450	0.0015
				451	0.1000
				465	0.0870
				योग . . .	**0.1885**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 242/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Sujatpur, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Sujatpur	450	0.0015
				451	0.1000
				465	0.0870
				Totat	**0.1885**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 243/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल कमालपुर राजवाहा निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-बागड़पुर इम्मा में कुल 0.1485 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	बागड़पुर इम्मा	328	0.0450
				329	0.1035
				योग . . .	**0.1485**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 243/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Bagedpur Imma, Pargana Sambal, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Bagedpur Imma	328	0.0450
				329	0.1035
				Totat	**0.1485**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 244/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य

गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल कमालपुर राजवाहा निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-भदरौला में कुल 0.3384 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 30 अगस्त, 2018 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः—

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4—भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	भदरौला	397	0.3384
				योग . . .	**0.3384**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 244/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Bhadraula, Pargana Sambal, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Bhadraula	397	0.3384
				Totat	**0.3384**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं0 245/आठ–वि0भू0अ0अ0/सम्भल/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल कमालपुर राजवाहा व रूदायन अल्पिका निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-नूरपुर ततारपुर में कुल 0.0778 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित-अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टेयर में)
सम्भल	सम्भल	सम्भल	नूरपुर ततारपुर	268	0.0048
				284	0.0030
				15	0.0084
				6	0.0616
				योग . . .	**0.0778**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
सम्भल।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

No. 245/VIII/S.L.A.O./Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (fo

r the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village Noorpur Tatarpur, Pargana Chamraoua, Tehsil Sambal, District Sambal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigaton and Water Resources Department, Uttar pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-8, Bulandshahr (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Bhadraula	268	0.0048
				284	0.0030
				15	0.0084
				6	0.0616
				Totat	**0.0778**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Sambal.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, बलरामपुर

अधिसूचना

29 जनवरी, 2024 ई0

सं0 867 / आठ–वि0भू0अ0अ0 / अधिसूचना / गोण्डा / बलरामपुर / 2024–अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2, शोहरतगढ़ मुख्यालय बढ़नी जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राप्ती मुख्य नहर के निर्माण हेतु जनपद-बलरामपुर, परगना व तहसील-तुलसीपुर, ग्राम-लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा) में स्थित गाटा संख्या-23 क्षेत्रफल 0.019331हे0 भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-653/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/बलरामपुर/2023 दिनांक 06-10-2023 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रुप से दिनांक 04-11-2023 को प्रकाशित की गई थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी गोण्डा द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 09-01-2024 पर विचारोपरान्त धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची **"क"** में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची **"ख"** में उल्लिखित जिला-बलरामपुर, परगना-तुलसीपुर, तहसील- तुलसीपुर, ग्राम-लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा) की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रुप में चिन्हित किया गया है।

श्री राज्यपाल अग्रेतर निदेश देती हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षे0 (हे0 में)
बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा)	23	0.019331हे0

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रुप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षे0 (हे0 में)
बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा)	शून्य	शून्य

टिप्पणी–अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

OFFICE OF COLLECTOR BALRAMPUR

NOTIFICATION

January 29, 2024

No. 867/VIII/S.L.A.O./Notification/Balrampur/Gonda/2024–Where as preliminary notification no.653/VIII-S.L.A.O/NOTIFICATION/Balrampur/2023 date: 06.10.2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement act 2013 respect of Gata No. 23 Area 0.019331 Hectares of land in Village–Lakshminagar (Pachperwa), Paragana-Tulsipur, Tehsil-Tulsipur, District- Balrampur is required for public purpose, namely,

Construction of Rapti Main Canal through Rapti Canal Consrtruction Division-2 Shohratgarh Headquarter Barhni District Siddharthnagar and lastly published on dated 04.11.2023.

After considering the report of the Special Land Acquisition officer Gonda dated 09.01.2024 submitted in pursurance to provision under subsection (2) of the section 15 of the act, the Hon'ble Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hectares in village Lakshminagar (Pachperwa), Pargana-Tulsipur, Tehsil-Tulsipur, District-Balrampur as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Rsettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Hon'ble Governor is further pleased under sub sction (2) of section 19 of the act, to direct the Collector of Balrampur to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Publication of the declaration to this effect.

SCHEDULE"A"

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA (IN HECTARE)
Balrampur	Tulsipur	Tulsipur	Lakshminagar (pachperwa)	23	0.019331

SCHEDULE"B"

(Marked land in the area of rehabilitation and resettlement for displaced families)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT.)
Balrampur	Tulsipur	Tulsipur	Lakshminagar (pachperwa)	00	00

Note–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
Collector, Balrampur.

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 1 क–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 ई० (माघ 21, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

कार्यालय, जिला पंचायत, संत कबीर नगर

02 जनवरी, 2024 ई0

मानक उपविधि (STANDARD BYE-LAWS)

सं0 632/तेईस–04(2023-24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथा संशोधित) की धारा-239(1) एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, संत कबीर नगर के ग्राम्य क्षेत्र जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित है। जिला पंचायत संत कबीर नगर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न/कारखाना/फैक्ट्री/ईंट भठ्ठा एवं अन्य व्यवसाय लगाये जाने के सम्बन्ध में विनियमित एवं नियांत्रित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियॉ बनाई गयी है।

1–यह उपविधियाँ फैक्ट्री संचालन एवं नियन्त्रण उपविधियाँ कहलायेगी।

स्पष्टीकरण–उन उपविधियों में फैक्ट्री का तात्पर्य उन समस्त प्रकार की फैक्ट्री से है जिनका वर्गीकरण प्रस्तावित उपविधि की धारा-8 में दिया गया है।

2–यह उपविधि जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाली फैक्ट्रियों को नियन्त्रित करेगी।

3–आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें–

i. ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियिम 1961 की (यथा संशोधित अधिनियंम 1994)

ii. फैक्ट्री का अर्थ ऐसे भवन और उसकी सीमाओं तक भूमि से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन क्रिया सम्बन्धी रीति में शक्ति का उपयोग किया जाता है।

iii. शक्ति का अर्थ 1948 की फैक्ट्री अधिनियम-63 की धारा-2 जो की परिभाषा के अनुसार।

iv. कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठान का मालिक अथवा साझेदार फैक्ट्री तब तक नहीं चला सकेगा जब तक उसने निर्धारित शुल्क जिला पंचायत में जमा करके लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

v. किसी फैक्ट्री के मालिक को इस आधार पर कि उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा पत्र/लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है तो जिला पंचायत से लाइसेन्स की आवश्यकता नही है की छूट नही प्रदान की जायेगी। यदि फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है तो उसे प्रत्येक दशा में जिला पंचायत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है।

vi. इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स पाने वाले व्यक्ति व पड़ोसी के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए निम्न लिखित शर्तों का पालन करना होगा–

(क) चिमनी की ऊँचाई पड़ोस की सबसे ऊँची इमारत से पॉच मीटर कम से कम ऊँचाई से कम न होना चाहिए।

(ख) साधारण शोरगुल रोकने के लिए फैक्ट्री के हाते में शोरगुल रोकने वाले यन्त्र (साइलेंसर) की जहॉ आवश्यकता हो लगाया जाना चाहिए।

(ग) फैक्ट्री में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम करने की आज्ञा नही दी जायेगी।

(घ) फर्श की नालियाँ व शीरा भरने के तालाब को पक्का होना चाहिए तथा उनकी ठीक-ठाक मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुए पानी को बाहर निकालने के लिए ऐसी नालियां बनायी जाय जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(ड) लाइसेन्स अधिकारियों के सन्तोषानुसार फैक्ट्री का अर्हता सभी समय स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद और ठीक अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(च) ऐसे व्यक्ति को फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी छूत संक्रामक रोग अथवा घृणास्पद रोग से ग्रसित हों।

(छ) शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा या स्वच्छता की दृष्टि से अपनायी गयी नीतियों से सम्बन्धी शासनादेश स्वतः लागू समझे जायेंगे। '

4–मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होगा।

5–उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा के बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

6–लाइसेन्सिंग अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत के यहाँ अपील कर सकेगा और अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा। और उक्त दोनो पक्षों पर बन्धनकारी होगा तथा लाइसेन्स स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

7—लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि 01 अप्रैल से प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

8—प्रत्येक फैक्ट्री के प्रोपराइटर/मालिक को वाजिब है कि वह निम्नांकित दर से वर्णित फैक्ट्रियों पर लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करे तभी वह जिला पंचायत से लाइसेन्स पाने का हकदार होगा।

क्र0-सं0	विवरण-फैक्ट्री	लाइसेन्स-शुल्क
1	2	3
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाइड्रालिक सल्फीटेंशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाइड्रालिक सल्फीटेंशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाइड्रालिक नान सल्फीटेंशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया कें सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइट	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एकस्पेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूमर (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपडा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बडा)	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	पेपर बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	पेपर बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता)	15,000.00
24	पेपर बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन तक क्षमता)	30,000.00

1	2	3
25	पेपर बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक)	50,000.00
26	दूध पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल सब्जिया एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल सब्जिया एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लांट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तु बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बडा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल एल्यूमिनियम स्टील शीशा तांबा व टीन आदि वस्तुए बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृशि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डशारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक का पाइप बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कम्बल कपडा आदि की रंगाई/छपाई का फिनीशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कम्बल कपडा आदि की रंगाई/छपाई का फिनीशिंग का कारखाना (बडा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00

1	2	3
51	फ्लोर बनाने का कारखाना	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्ड, सीमेन्ट, कंकरीट, आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलिविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्टी	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईबुड का माईका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लैमिशेन का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैंकिग का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील आलमारी बक्से आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
78	दरी कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00

1	2	3
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड के टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	त्रिपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस मोबिल आयल काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्टस बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीलज मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लांट	25,000.00

1	2	3
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेन्टस का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस इण्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	1,00,000.00
116	ट्रान्सफारमर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील का बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कन्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमडा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेसर	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है।

क्र0-सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेंन्स शुल्क (रू0 में)
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माइक्रो) (लागत 25 लाख)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (स्माल) (लागत 25 लाख से पॉच करोड तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (मीडियम) (लागत 5 करोड से 10 करोड तक)	21,000 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (हैवी) (लागत 10 करोड से अधिक)	51,000 से 1,00,000.00

9–केन्द्र अथवा राज्य सरकार या कोई अन्य कोई विधि विहित संस्था की धारा-8 में उल्लिखित फैक्ट्रियों के. नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स यदि कोई हो से भिन्न यह लाइसेन्स होगा।

10–इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक आगामी वर्ष के लिए कराना आवश्यक होगा। जिसमें उपविधि की धारा-8 की तालिका में वर्णित दरें ही प्रभावी होगी। 30 अप्रैल के पश्चात रू0 300/– प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा तथा नवीनीकरण किया जा सकेगा। विलम्ब की अवधि मई से प्रारम्भ होगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा-240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर निर्देश देती है कि उपरोक्त में किसी भी उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन 1,000/–तक अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें उल्लघंन जारी रहा है तो अंकन रु0 50/– प्रतिदिन के हिंसांब से अर्थ दण्ड किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 ई० (माघ 21, 1945 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

04 फरवरी, 2024 ई0

शुद्धि पत्र

संख्या : मा0शि0प0/मु0का/समन्वय/365–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रसारित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 (परीक्षा वर्ष 2024) की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट हेतु परीक्षा कार्यक्रम राजपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2024 के भाग–4 में प्रकाशित कराया गया था, जिसमें दिनांक 05 जनवरी, 2024 ई0 के स्थान पर 05 जुलाई, 2024 मुद्रित हो गया था, जो कि गलत है। दिनांक 05 जुलाई, 2024 ई0 के स्थान पर दिनांक 05 जनवरी, 2024 ई0 पढ़ा व समझा जाये।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 4–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 ई० (माघ 21, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद चुनार, मीरजापुर

दिनांक : 06 जनवरी 2024

सं0 297/न0पा0प0/2022–नगरपालिका परिषद चुनार ने नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 एवं उसमें दी गई उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा अनुषांगिंक मामलों के लिए बाईलाज तैयार किया गया था। जिसको निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2022 द्वारा बोर्ड में अनुमोदन प्रदान किया गया। बाई-लाज पर दावें एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु बाईलाज को निम्नानुसार समाचार पत्रों स्वतन्त्र प्रभात के एक अंक दिनांक 07 दिसम्बर 2022, को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई। तदुपरान्त बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 30.04.2022 को सर्वसम्मति से बाईलाज को अन्तिम रूप दे दिया गया। आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा अनुषांगिंक के लिए बाई-लाज तैयार किया गया, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

प्रारम्भिक

1- लघु–शीर्षक और प्रारम्भ –

(क) इन विनियमों को चुनार फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(ख) ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से चुनार नगरपालिका परिषद की प्रशासंगिक सीमा के भीतर लागू होगें।

2- परिभाषायें–

(क) एक्सेस कवर से तात्पर्य है–निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यो के लिए आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ख) **''एनपीपीचुनार पंजीकृत वैक्युम टैंकर''** से तात्पर्य है–राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उददेश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्युम टैंकर, जिसका एनपीपीचुनार द्वारा फीकल स्लज एंव सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(ग) ''**विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट''** जल उपचार प्रणाली (D.W.W.T.) एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय, सोसाइटियों अलग-थलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। पी डब्लू डब्लू टी से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(घ) ''**निर्दिष्ट अधिकारी**'' से तात्पर्य है–का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

(ङ) **''डी-स्लजिंग''** से लाइसेंस प्राप्त आपरेटर अथवा एनपीपीचुनार के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था से एफएनएस को खाली करने का काम अभिप्रेत है।

(च) **''निपटान''** से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

(छ) ''**उत्प्रवाही''** किसी ओ0एस0एस0 से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

(ज) ''**फीकल स्लज''** से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर शहर-दर-शहर और देश-पर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक रासायनिक और जैविक विशेषताए भण्डारण की अवधि, तापमान, मिटटी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(झ) **''फीकल स्लज, व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट''** (F.S.S.T.P.) सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एंव तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एस0एस0एस0 ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(ञ) **''लाइसेंस''** से तात्पर्य है–किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज, व सेप्टेज प्रबंधन की सेवाओं का निर्वहन करना है, जिसमें एनपीपीचुनार के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उददेश्य, सत्र, नाम, व पता मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हों।

(ट) **''लाइसेंस प्राप्त आपरेटर''** से तात्पर्य है–डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाईसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

(ठ) **''अधिसूचित स्थान''** से तात्पर्य है–एफ0एस0एस0 पहुँचाने और निपटान का स्थान जिसे एनपीपी चुनार द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

(ड) **''आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था''** ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था जिसमें मल-मूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां पर वह उत्पन्न होता है।

(ढ) **''प्रचालक''** से तात्पर्य है–एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(ण) **''व्यक्ति''** प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेन्सी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(त) **''शेडयूल डी-स्लजिंग''** सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ एण्ड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(थ) **''सेप्टेज''** सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किय गया फीकल स्लज है।

(द) **''सीवेज''** अपशिष्ट जल है, जिसमें सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

(ध) **''सीवर''** से तात्पर्य है–समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

(न) **''सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट''** से तात्पर्य है–वह स्थान जहा सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

(प) **''कार्यबल''** से तात्पर्य है–शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का अपने सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

(फ) **''एनपीपीचुनार के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी''** से तात्पर्य है–एनपीपी चुनार के स्वामित्व वाले वैक्युम टैंकर का उपयोग कर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए एनपीपी चुनार के सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी

(ब) **''परिवहन''** से तात्पर्य है–एनपीपी चुनार पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

(भ) **''ट्रीटमेंट''** से तात्पर्य है–प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया।

(म) **''वैक्युम टैंकर''** एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओ0एस0एस0 से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

(य) **''अपशिष्ट जल''** से तात्पर्य है, घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधियों से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय रसोईघर एवं साफ सफाई की गतिविधि शामिल है, किन्तु विर्निमाण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर यह मल, जल, बरसाती जल (स्टार्म वाटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और वहा इसमें उपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अपशिष्ट जल प्रबंधन

3- परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निपटान –

प्रत्येक सम्पत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किन्तु इन्ही तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी कि उनके परिसर में अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

(क) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ख) अपशिष्ट जल को एनपीपी चुनार द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाए।

(ग) जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार ली0 से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मी0 से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्लूडब्लूटी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फ्लशिंग के लिए पुनः उपयोग कर इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(घ) परिसर का अपशिष्ट जल ओ.एस.एस. में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

आनसाइट स्वच्छता व्यवस्थाएं

4- ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

(क) ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः आशोधित ''मैन्युअल आन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम 2013, सीपीएचईईओ के प्रावधानों के अनुसार अथवा एनपीपी चुनार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होगें।

(ख) ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) परिसर का मालिक/धारक बीएनपीपी द्वारा यथाः निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

(घ) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(ड़) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाईसेंस प्राप्त आपरेटर या बीएनपीपी के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(च) एनपीपीचुनार या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। एनपीपीचुनार परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज,

सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(छ) एनपीपी चुनार अपने विवेक से सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेसिंग

5- एनपीपी चुनार द्वारा लाईसेंस जारी किया जाना –

(क) एनपीपी चुनार निजी आपरेटर(रों) द्वारा स्वामित्व अथवा किरायें पर लिए गये वैक्युम टैंकर(रों) का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान मे चुनार नगर मे डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे है।

(ख) एनपीपी चुनार अपने कर्मचारियो सहित आपरेटरों के लिए इनफार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी। जहां उन्हे एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिहवन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जाएगा।

(ग) एक बार जब आपरेटर को लगता है कि वहा लाईसेंस के मापदण्डों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 को उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जाएगा।

(घ) एनपीपी चुनार एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग करने और इसके परिवहन के लिए आपरेटर को लाईसेंस जारी करेंगी।

(ड़) लाईसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैद्य होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

(च) एनपीपी चुनार आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्युम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगी। एनपीपी चुनार अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। एनपीपी चुनार को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में एनपीपी चुनार मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडो को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो नगर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6- लाईसेंस जारी करने हेतु मापदंड–

(क) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 में परिभाषित व्यक्ति है।

(ख) आवेदक के पास उचित वैक्युम/सक्सन और डिस्चार्जिंगं व्यवस्था के साथ रिसाव रहित (लीक-प्रूफ) गंध और छलगल रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्युम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराये पर होना/होने चाहिए।

(ग) चुनार में परिचालन किये जाने के लिए वाहन के पास परिहवन विभाग का वैद्य परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक एनपीपीचुनार के साथ अपने वैक्युम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगा।

(ङ) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गए वैक्युम टैंकर इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते है।

(च) आवेदक एनपीपी चुनार अथवा एनपीपी चुनार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उददेश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(छ) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैंस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7- लाइसेंस के लिए आवेदन–

एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तो सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और एनपीपी चुनार के निर्दिष्ट अधिकारी(रियों) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8- लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण–

एनपीपी चुनार अपनी वेब-साइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर संभावित आवेदकों को लाईसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करेगी।

9- लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क–

एनपीपी चुनार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभारित कर सकती है। यह शुल्क गैर वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा एनपीपी चुनार के पक्ष में डिमाण्ड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10- परफार्मेंस गारण्टी–

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर बैंक गारन्टी के तौर पर परफार्मेंस (कार्य प्रदर्शन) गारन्टी की निर्धारित राशि जमा करेगा, जैसा कि एनपीपी चुनार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लघंन के मामले मे जब्त कर लिया जाएगा।

11- लाईसेंस प्राप्त आपरेटर का प्रचार–

एनपीपी चुनार समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त आपरेटर(रों) को अपनी वेबवाइट पर और पिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार प्रदान करेगी।

12- जागरूकता अभियान–

एनपीपी चुनार इन नियमों के बारे मे लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज परिवहन और निपटान हेतु केवल लाईसेंस प्राप्त आपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारें मे भी जागरूक करेगी।

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एंव परिवहन

13- सम्पत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त आपरेटर को ही संलग्न करेगा–

(क) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए एनपीपी चुनार के लाइसेंस प्राप्त आपरेटरों या एनपीपी चुनार के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना सम्पत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ख) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजर(रों) को जारी किया गया लाइसेंस कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैद्य है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फार्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14–एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क–

(क) एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को एनपीपी चुनार के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) जब एनपीपी चुनार नगर में शेडयुल डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी तब डी-स्लजिंग शुल्क को सेनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे सम्पत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है। इसे समय-समय पर एनपीपी चुनार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ग) लाइसेंस प्राप्त आपरेटर समय-समय पर एनपीपी चुनार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक सम्पत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा/करेगी।

(घ) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग लाइसेंस प्राप्त आपरेटर को उनके लाइसेंस रदद किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा, और इन विनियमों के उल्लधंन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15- एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन–

(क) एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त आपरेटर(रों) या एनपीपी चुनार के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ख) वैक्यूम टैंकर(रों) को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों मे संबंधित आपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(ग) एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गो (जैसा कि समय-समय पर एनपीपी चुनार द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(घ) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर एनपीपी चुनार द्वारा जारी किये गये आपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(ड़) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा, तथा लाल रंग में सेप्टिक टैंक वेस्ट (Septic taink waste) (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट '' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(च) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा और निर्दिष्ट अधिकारी और एनपीपी चुनार द्वारा अधिसूचित एजेन्सी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जाएगें।

16- परिवहन के दौरान सावधानियां–

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17- दूर्घटना के मामलें मे सुरक्षात्मक उपाय–

एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18- दूर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त आपरेटर की जिम्मेदारी/देयता–

किसी भी दूर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति वाहन सम्पत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाईसेंस प्राप्त आपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीडितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19- तैनात कर्मी(यों) के लिए सुरक्षा उपाय–

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस मास्क, सुरक्षात्मक गियर, आक्सीजन सिलेण्डर के साथ आक्सीजन मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बाक्स आदि शामिल है और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 में तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों मे निर्दिष्ट किया गया है।

20– एफ0एस0एस0 का निपटान–

(क) लाइसेंस प्राप्त आपरेटर समय-समय पर एनपीपी चुनार द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा/करेगी।

(ख) लाइसेंस प्राप्त आपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकार्ड फार्म एनपीपी चुनार के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा(करेगी)।

21- कर्मियों का प्रशिक्षण–

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिग परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी(यों) के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22- कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच–

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी की जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रतिवर्ष कम से कम 02 बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख एनपीपी चुनार को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किये जाने पर लाइसेंस प्राप्त आपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23- बीमा–

एफ0एस0एस0 को डी-स्लज परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दूर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा तैनात कर्मी(यों) को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 और 2003 की रिट याचिका सं0-583 (सफाई कर्मी आन्दोलन एंव अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

24- लाइसेंस रदद करना–

इन विनियमों सहित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लधंन के मामले में लाइसेंस प्राप्त आपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रदद करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी(यों) की सिफारिश के अनुसार परफार्मेंश गारन्टी को जब्त करना शामिल है।

एफएसएसडब्लू के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान

25- उपचार/निपटान स्थल (लों) की पहचान–

एनपीपीचुनार ऐसे स्थान(नों) की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी जहां एफएसएसडब्लू को लाइसेंस प्राप्त आपरेटरों या एनपीपी चुनार के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जाएगा।

26- एफएसएसडब्लू की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन–

एनपीपी चुनार आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन(नों) द्वारा लाये गये एफएसएसडब्लू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27- एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती–

प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थान्तरित करने हेतु एनपीपी चुनार पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28- एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय–

एनपीपी चुनार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान(नों) पर एनपीपी चुनार के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जाएगा।

29- औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए–

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान(नों) पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

30- एफएसएसएम में प्रशिक्षण–

एनपीपी चुनार द्वारा अधिसूचित स्थान(नों) पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

31- उपचारित एफएसएसडब्लू का पुनः उपयोग–

(क) एनपीपी चुनार किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्लू के कृषि अनुप्रयोग होने वाले स्वास्थ्य एंव पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्लू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ख) एनपीपी चुनार नगर में डीडब्लूडब्लूटी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उददेश्य के लिए करेगी। जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(ग) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस पास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट जलका उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगें। केवल उपचारित अपशिष्ट जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों मे प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पो का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए एनपीपी चुनार से परामर्श करेगा।

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32- प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन–

(क) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ख) डी-स्लजिंग परिवहन या उपचार की सेवाए प्रदान करने के लिए एनपीपी चुनार समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33- निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार–

इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और परिवर्तन के उददेश्य से एनपीपी चुनार के पास किसी भी समय किसी भी परिसर परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्लू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34- उल्लघंन और दंड–

(क) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लघंन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस किया जाएगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति इन नियमो के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा/होगी। यदि ऐसा व्यक्ति (क) उल्लघंन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौपें गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले एनपीपी चुनार के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा रोक या हस्तक्षेप करता है। (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(ग) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन एफएसएसडब्लू उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हों।

(घ) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामलें में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोशी पाये गये व्यक्ति को पाच हजार भारतीय (रू0 5000.00) के जुर्माने के साथ दण्डित किया जाएगा और इसके बाद निरन्तर उल्लघंन के मामले में एक हजार भारतीय (रू0 1000.00) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लघंन के लिए उस अवधि हेतु दण्डित किया जाएगा।

(ड़) संदेह के समाधान के लिए एतद घोशित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दण्डित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दण्डनीय किया गया है।

35- अपील –

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत एनपीपी चुनार के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता(सकती) है। (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई थी।

36- विवाद समाधान उपबन्ध –

कोई भी विवाद जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल मीरजापुर शहर होगा।

37– संदर्भ दस्तावेज–

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों रणनीतियों मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जाएगें।

38- राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होगें–

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाईयों को दूर करने के लिए एफएसएसडब्लूएम के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

राजपति,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, चुनार, मीरजापुर।

कार्यालय, नगर पंचायत सैदनगली, जनपद-अमरोहा

दिनांक 24 जनवरी, 2024 ई0

सं0 238/न0पं0सै0/2023-24–नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा अपनी सीमा में स्थित समस्त अनावासीय/भूखण्डों पर व्यवसायिक कर आरोपित करने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (संशोधित)–2011 की धारा-128(1), 140(1), 141क के अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों एवं नगर निकाय अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0आ0/दिनांक 18 मार्च 2011 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत भवनों/भूमियों तथा सम्पत्तियों के पंचवर्षीय/आकस्मिक व्यवसायिक कर निर्धारण नियमावली वर्ष 2023 बनायी है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् लागू होगी। उक्त नियमावली/उपविधि पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त करा सकते है। निर्धारित उपविधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में बोर्ड की बैठक दिनांक 28.06.2023 को सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नवत उपविधि प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

उपविधि

1–नाम-यह नियमावली व्यवसायिक कर निर्धारण एवं वसूली उपविधि, 2023 नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा के नाम से जानी जायेगी।

2–अर्थ-नगर सीमान्तर्गत लागू प्रति वर्ग फीट के अनुसार अनावासीय/भूखण्डों पर आंगणित वार्षिक मूल्य के आधार पर व्यवसायिक कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा।

3–परिभाषायें– इस नियमावली में–

(1) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा से है।

(2) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा से है।

(4) "अध्यक्ष/बोर्ड" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा के अध्यक्ष/बोर्ड से है।

(5) "सम्पत्ति" से तात्पर्य नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा की सीमा में स्थित अनावासीय से है।

(6) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

(7) "अधिसूचित बैंक" से तात्पर्य कर धनराशि को जमा करने के लिये नगर पंचायत सैदनगली द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

4—अधिनियम की धारा-129 की उपधारा (1) से (3) तक को छोड़कर नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त अनावासीय या भूखण्ड़ों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर व्यवसायिक कर का उद्ग्रहण किया जायेगा।

5—कर निर्धारण दर—

(1) व्यवसायिक कर की देयता वार्षिक होगी, जो वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।

6—करों का भुगतान—

(1) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित अनावासीय भवन/भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर व्यवसायिक कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जिसके अनुसार नगर पचांयत सैदनगली जनपद अमरोहा में कर का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में उपविधि में दी गई शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी।

7—करों की देय—

(क) अनावासीय भवनों पर व्यवसायिक कर, कवर्ड ऐरिया—5 रूपये प्रति वर्ग फीट

ओपन ऐरिया—2 रूपये प्रति वर्ग फीट

सप्ताहिक बाजार पर—3 रूपये प्रति वर्ग फीट

(ख) ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी को जिस पर वित्तीय-वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च के पश्चात् बकाया चालू माँग में 05 प्रतिशत अधिक ब्याज देना होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुऐ नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा यह निर्देश देती है कि —

(1) जो व्यक्ति इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, उसे रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किये जाने की स्थिति में प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिऐ जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध होगा, रू0 25.00 (पच्चीस रूपये) तक हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुऐ भी इस उपविधि के आधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिए नियत अर्थदण्ड की अन्यून एक तिहाई धनराशि और अनाधिक आधी धनराशि की वसूली पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

पुष्पेन्द्र सिंह राठौर,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सैदनगली,
जनपद-अमरोहा।

सूचना

मेरा सही नाम अनिल कुमार सिंह परन्तु त्रुटिवश मेरे पुत्र अनुराग वर्मा के सी0बी0एस0ई0 हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र व माइग्रेशन अनुक्रमांक 23176193 सन 2023 ई0 में मेरा नाम अनिल वर्मा अंकित है, जो गलत है। अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री गुलाब सिह, गुलाली वाटिका जेल रोड शाहपुर, गोरखपुर।

अनिल कुमार सिंह,
पुत्र स्व0 गुलाब सिंह,
निवासी–गुलाली वाटिका,
जेल रोड, शाहपुर गोरखपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नीरज कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2918 1100 7230 में मेरा नाम अनन्त बाबु नवले अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे नीरज कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

नीरज कुमार,
पुत्र सुरेश चन्द्र,
पता-पृथ्वी का पुरा नेवढ़िया,
तहसील-मेजा, प्रयागराज–212303।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आन सिंह खनी (AAN SINGH KHANI) पुत्र राम सिंह खनी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, Pan Card, Aadhar Card में अंकित है। त्रुटिवश मेरे PPO No. S/046505/02 में मेरा नाम अन (AN SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम आन सिंह खनी (AAN SINGH KHANI) पुत्र राम सिंह खनी (RAM SINGH KHANI) के नाम से जाना और पहचाना जाए।

आन सिंह खनी,
20 लखन मार्ग, शिवपुरी,
कल्याणपुर, लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड में धीरज कुमार पुत्र महेंद्र बहादुर है। जो सही है। मेरे आधार कार्ड संख्या-9491 7640 6823 में नाम बच्चू लाल सरोज अंकित है जो गलत है। भविष्य में मुझे धीरज कुमार के नाम से जाना जाए। धीरज कुमार पुत्र महेंद्र बहादुर, ग्राम व पोस्ट–रामगढ़ कोठारी, फूलपुर, प्रयागराज।

धीरज कुमार पुत्र महेंद्र बहादुर
निवासी–ग्राम व पोस्ट-रामगढ़ कोठारी
तहसील-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म शिवांश कान्स्ट्रक्शन पता म0सं0–5/5/16 डी, जालपा कालोनी, तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या, उ0प्र0 224001 है जिसका पंजीकरण संख्या–FAI/0006491 है जिसमें तीन भागीदार जो क्रमशः नितेश सिंह, सुशील कुमार श्रीवास्तव व इशितयाक अहमद जिसमें सुशील कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री सूर्य करन लाल दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को स्वयं फर्म उपरोक्त से अलग हो गये है तथा उनके स्थान पर सुधीर कुमार साहू पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद साहू को भागीदार बनाया गया है जिनका भागीदार अनुपात 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत क्रमशः का होगा। फर्म से अलग हुये भागीदार का किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

नितेश सिंह,
पता–5/5/16 डी, जालपा कालोनी,
तहसील-सदर, जनपद-अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स हाई फाई ऑटोमोबाईल, 166 सरर्कुलर रोड, मेरठ कैन्ट, मेरठ-250001 की साझीदारीनामा दिनांक 28 अगस्त, 2020 के अनुसार फर्म में श्री सुधीर कुमार एवं श्रीमती बबीता बंसल साझीदार थे। दिनांक 09 मार्च, 2023 को श्री सुधीर कुमार

का स्वर्गवास होने एवं फर्म की साझीदारी में कोई नया साझीदार नही बनाये जाने के कारण साझीदारी फर्म दिनांक 09 मार्च, 2023 को विघटित हो गई है। फर्म अब वर्तमान में श्रीमती बबीता बंसल के द्वारा प्रोपराईटर में फर्म संचलित की जा रही है। यह घोषणा करती हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बबीता बंसल,
प्रोपराईटर,
मैसर्स हाई फाई ऑटोमोबाईल,
166, सरर्कुलर रोड,
मेरठ कैन्ट, मेरठ-250001 ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आत्माराम गुप्ता एण्ड संस दिल्ली सहारनपुर रोड कांधला जिला-शामली का रजिस्ट्रेशन कार्यालय सहायक निबन्धक फर्मस सहारनपुर में 03 सितम्बर, 2013 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री आत्माराम गुप्ता व रोहित गुप्ता पुत्र श्री दिनेश कुमार गुप्ता निवासीगण–मौ0 रायजादगान कांधला हॉल जिला शामली पार्टनर थे, दिनांक 18 फरवरी, 2023 को फर्म में दिनेश कुमार गुप्ता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती वीना गुप्ता पत्नी स्व0 दिनेश कुमार गुप्ता निवासी–मौ0 रायजादगान कांधला जिला-शामली नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गई है। अब फर्म में रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 दिनेश कुमार गुप्ता व श्रीमती वीना गुप्ता पत्नी स्व0 दिनेश कुमार गुप्ता निवासीगण–मौ0 रायजादगान कांधला जिला शामली पार्टनर रह गये हैं।

रोहित कुमार गुप्ता,
पार्टनर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शिवम स्क्रीन वर्क्स के साझीदारीनामा 19 अक्टूबर, 2023 प्रभावी दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 के अनुसार फर्म में साझीदार श्री विजय पाल व महावीर थे, उक्त फर्म को उपनिबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा पंजीकरण संख्या– GBN/0016581 दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में पंजीकृत किया गया था। फर्म की एडमिशन कम रिटायरमेंट पार्टनरशीप डीड दिनांक 01 जनवरी, 2024 के अनुसार साझेदार– श्री महावीर फर्म साझेदारी से सेवानिवृत्त हो गये है व नवीन साझीदार शपथकर्ता (राजबाला) सम्मिलित हुयी है। फर्म में वर्तमान साझीदार– श्री विजय पाल सिंह व श्रीमती राज बाला है।

विजय पाल सिंह,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स माईक्रो ट्रांसमिशन सिस्टमस, सी–23, सेक्टर–85 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर की साझीदारी जिसमें श्री मनोज कुमार झा, श्री सुदेश कुमार झा साझीदार है, द्वारा संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 11 मार्च 2022 के अनुसार फर्म का नया पता ''डी–29, साईट-बी, यू0पी0एस0आई0 डी0सी0, सुरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर–201310'' पर परिवर्तित हो गया है।

यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार झा,
साझीदार,
मैसर्स माईक्रो ट्रांसमिशन सिस्टमस,
सी-23, सेक्टर-85 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर।
परिवर्तित पता- डी-29, साईट-बी,
यू0पी0एस0आई0 डी0सी0,सुरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया,
ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर–201310।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अंक अनुक्रमांक-5200211 वर्ष 2004 के अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र एवं इण्टर मीडिएट अनुक्रमांक -5680693 वर्ष 2006 के अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र में पिता जी का नाम S.B. KATIYAR व माता जी का नाम PREETA KATIYAR अंकित हो गया है जो कि गलत

है सही नाम मेरे पिता जी का SURYA BHANU KATIYAR व मेरी माता जी का सही नाम PRITA KATIYAR है। जो कि प्रत्येक जगह पैनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड पर अंकित है जो सही है। हेमन्त कटियार पुत्र सूर्य भानू कटियार निवासी–मकान नं0 एच0-482 सत्यम विहार आवास विकास नं01 कल्यानपुर, कानपुर नगर।

हेमन्त कटियार,
पुत्र श्री सूर्य भानू कटियार,
नि0, एच–482, सत्यम विहार,
आ0वि0 नं01, कल्यानपुर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स बंसल हाइवे बिल्डर्स, 152/100 एफ एल सी 2/2, सांई धाम मदन मोहन द्वारिका अपार्टमेन्ट, लूकरगंज, झूलेलाल नगर, प्रयागराज–211001 के भागीदार महेश अग्रवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल दिनाक 08 जनवरी, 2024 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं, अब फर्म में अंकित बंसल, सौरभ अग्रवाल तथा कृष्ण कुमार अग्रवाल कुल तीन भागीदार हैं जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः अंकित बंसल 50 प्रतिशत, सौरभ अग्रवाल 25 प्रतिशत तथा कृष्ण कुमार अग्रवाल 25 प्रतिशत का होगा। फर्म से अलग हुए भागीदार महेश अग्रवाल का दिनांक 08 जनवरी, 2024 के पूर्व का फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

अंकित बंसल,
भागीदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/S Laghu Dal Udyog, E-109, Sector-27, Noida, District-Gautam Buddh Nagar-201301 की साझीदारी में श्रीमती हर देवी एवं श्री रमेश पाल सिंह साझीदार थे। दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को श्रीमती पुष्पा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुयी एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को श्रीमती हर देवी जी का स्वर्गवास हो गया है तथा दिनांक 16 जनवरी, 2024 को श्री राजवीर सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए एवं श्री रमेशपाल सिंह फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये है। दिनांक 16 जनवरी, 2024 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्रीमती पुष्पा एवं श्री राजवीर सिंह साझीदार है तथा फर्म का पता-A-283, Sector-43, Noida, District-Gautam Buddh Nagar-201301 हो गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुष्पा देवी,
साझीदार,
M/S Laghu Dal Udyog,
A-283, Sector-43, Noida,
District-Gautam Buddh Nagar-201301 ।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-ASR Green City, सी0–48/5, पेपरमिल कालोनी, निशातगंज, जिला-लखनऊ उ0प्र0–226006 की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दिनांक 23 जनवरी, 2024 से फर्म का नाम परिवर्तन कर नया ASR Green City, Phase-II सी0-48/5, पेपरमिल कालोनी, निशातगंज, जिला-लखनऊ उ0प्र0-226006 कर दिया गया है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

अशोक कुमार राय,
साझेदार,
ASR Green City, Phase-II
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जात है कि मै0 भगवान राम आइस एण्ड कोल्ड सटोरेज, खसरा सं0-102 ए 102बी फलपुर इनायत नगर देवरी रोड आगरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती शैली पत्नी श्री सुरेश बाबू, श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री उदय भान सिंह, श्री यश पाल सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह, श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री राधा किशन, श्री जजवेन्द सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को

संचालन की थी दिनांक 01 जनवरी, 2024 से श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रूप सिंह चौहान, श्री मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है दिनांक 01 जनवरी, 2024 श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री उदय भान सिंह, श्री यश पाल सिंह पुत्र श्री उदय भान सिंह, श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री राधा किशन, श्री जजवेन्द सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नही है अब फर्म को श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान, श्री मुनेन्द्र सिंह, श्रीमती शैली संचालित करेंगे।

बिजेन्द्र सिंह चौहान,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 सीताराम बालाजी कोल्ड स्टोरेज, मौहल्ला मोहन गली, मुरलीधर वकील, नदरई गेट, कासगंज परिवर्तित पता-ग्राम सरसईवान, (भानुपुरा) एटा-सहावर रोड, तहसील सहावर, जिला-कासगंज में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से फर्म के प्रथम साझेदार श्री अवधेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुधीर कुमार अग्रवाल निवासी– मौहल्ला मोलन गली, मुरलीधर वकील नदरई गेट, कासगंज तथा द्वितीय साझेदार श्री पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुधीर कुमार अग्रवाल निवासी–32 गली मुरलीधर वकील मौहल्ला मोहन, नदरई गेट, कासगंज स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री विशन सिंह तथा श्रीमती पिंकी यादव साझेदार है।

विशन सिंह,
मै0 सीताराम बालाजी कोल्ड स्टोरेज,
मौहल्ला मोहन गली, मुरलीधर वकील,
नदरई गेट, कासगंज।

NOTICE

It is informed to the gerneral public that in my High School (Board CBSE) Mark-sheet cum Certificate of Year 2019, Roll Number 5056868, my mother's name has been mentioned as SHAHEEN BEE by mistake and in my Intermediate (Board CBSE) Mark-sheet cum Certificate of the Year 2021, Roll Number 21627991, my mother 's name has been mentioned as SHAHEEN BEGUM by mistake which is wrong. My mother's correct name is SAHIN BI which is correct.

TAUHEED RAZA KHAN
S/o SMT. SAHIN BI AND
SHRI MOHD ANIS KHAN
R/0 180, PARTAPUR,
JIVAN SAHAYE, PILIBHIT ROAD,
DISTRI CT, BAREILLY U.P.–243122

NOTICE

It is informed my mother's correct name is ANILESH DEVI which is mentioned in her Aadhar Card and PAN Card, but by mistake, Anilesh Kumari is mentioned in my High School Mark-sheet and Certificate (Roll Number 23176551) and Intermediate Marksheet and Certificate (Roll Number 23662173). It is wrong name. My mother's correct name is ANILESH DEVI.

Raunak,
S/o Ram Bahadur Raddhey,
Purwa, Behta Sadhai,
Hardoi.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।